07112026-himtrib-02.qxd 11/6/2026 9:04 PM Page 1

Resolve drinking water shortage in Kasumpti school, minister tells Jal Shakti Dept officials

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, NOVEMBER 6

Education plays an important role in shaping the future of children and the state government is making efforts to provide quality education to students, said Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh while presiding over the annual prize distribution function of Raghav Public School at Baldeya in the Kasumpti Assembly constituency of Shimla district on Thursday.



Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh at the annual prize distribution function of Raghav Public School held at Baldehan in Kasumpti Assembly constituency on Thursday.

The minister directed officials of the Jal Shakti Department to immediately resolve the issue of the shortage of drinking water in the school. He also announced Rs 50,000 for students, who performed in cultural programmes, as well as for the school management for making arrangements for storing drinking water.

He congratulated the students, who had excelled in academics, sports and cultural competitions throughout the year, and said that along with academic education, sports also played a crucial role in the overall development of students. He added that more than 200 schools in the state had been affiliated with the CBSE, while the process to affiliate other schools with the CBSE was underway.

Earlier, Yogeshwari Verma, principal of Raghav Public School, welcomed the minister and presented the school's annual report. She also raised several issues of the school with the minister, who assured her that all her demands would be fulfilled soon in a phased manner. The minister also felicitated meritorious students on the occasion.

Sambhav to lead Himachal in Vijay Merchant Trophy

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, NOVEMBER 6

Sambhav Sharma will lead Himachal Pradesh in the BCCI's Under-16 Vijay Merchant Trophy. Aadish Minhas has been appointed vice-captain of the 18-member squad announced by the Himachal Pradesh Cricket Association on Friday. Yoginder Puri has been named the coach of the team.

Himachal has been placed in a group alongside Assam, Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda. The tournament will be played in Vijayawada from November 14. Himachal will open its campaign against Assam, followed by matches against Madhya Pradesh, Tripura, Jharkhand and Baroda.



Sambhav Sharma will lead Himachal in Vijay Merchant Trophy.

The team comprises Sambhav Sharma (captain), Aadish Minhas (vice-captain), Ansh Gautam, Suvansh Dwivedi, Bhavesh Thakur, Riyansh Thakur, Yash Choudhary, Shourya, Vedant Sharma, Arnav Thakur, Yesh Verma, Atharv Arya, Neerav, Sanyam Bhaluni, Abhinav Sharma, Sameer Labana, Udayvir Attlas and Namish Kalia.

Mandi DC launches 60-day tobacco-free youth campaign

TRIBUNE NEWS SERVICE

MANDI, NOVEMBER 6

Deputy Commissioner Apoorv Devgan today launched the 60-day Tobacco-Free Youth Campaign 4.0 from Seri Manch in Mandi, flagging off an awareness rally involving students. The campaign will continue across the district until December 26 with a focus on protecting young people from tobacco and nicotine addiction and making educational institutions, government offices and public places tobacco-free.



Deputy Commissioner Apoorv Devgan flags off a Tobacco-Free Youth Campaign 4.0 rally in Mandi on Friday. TRIBUNE PHOTO

Addressing the gathering, Devgan said sustained efforts were being made across Himachal Pradesh and Mandi district to control tobacco consumption and create awareness about its harmful effects. He emphasised that active participation from all government departments and sections of society was essential to make the campaign successful.

He said special emphasis would be laid on making educational institutions tobacco-free during the next two months. Under the campaign, the sale of tobacco products within 100 yards of educational institutions would be strictly prohibited.

The Deputy Commissioner said addiction often begins during adolescence and could increase the likelihood of substance abuse later in life. He called upon parents, teachers and community members to work together to keep the younger generation away from tobacco and nicotine products.

Chief Medical Officer Dr Ashok Chauhan, officials from various departments and students of ITI were present on the occasion.

Three-day disaster management training held

TRIBUNE NEWS SERVICE

MANDI, NOVEMBER 6

With the aim of strengthening community preparedness and reducing the impact of natural disasters in the Himalayan region, a three-day awareness and training programme on disaster risk management was organised in three panchayats of Seraj development block in Mandi district.

75 participants from three panchayats trained to strengthen community preparedness

A total of 75 persons (25 each from the three panchayats) participated in the three training programmes. The College of Horticulture and Forestry, Thunag, and Dr YS Parmar University of Horticulture and Forestry conducted the programmes in Sharan, Pakhrair and Thunag panchayats under the project titled 'Empowering Himalayan Communities for Disaster Risk Management in Himachal Pradesh'.

During the training sessions, Kashish Walia, Assistant Professor in the Department of Environmental Science and Principal Investigator of the project, spoke in detail on building resilient and disaster-resistant communities for effective disaster risk management.



Participants at a disaster management training programme at Seraj in Mandi. TRIBUNE PHOTO

She highlighted the vulnerability of the Himalayan region to natural disasters because of its geographical and climatic conditions and stressed the need to prepare local communities to respond effectively to emergencies. She said that creating awareness, providing practical training and strengthening preparedness at the grassroots level were essential to minimise the loss of human lives and property during disasters.

The participants were informed about identifying potential risks in advance, locating safe places and evacuation routes, preparing emergency kits, keeping essential documents and medicines secure and drawing up disaster management plans at the family and community levels.

The participants were encouraged to ensure their own safety while helping others, wherever possible.

Kashish highlighted the importance of providing first aid to injured persons, supporting affected families, ensuring access to safe drinking water and sanitation and coordinating with the administration in relief, rescue and rehabilitation operations.

An important part of the training programmes was the sharing of experiences by participants who had witnessed the natural disaster in 2025. They discussed the challenges they faced, the damage caused, rescue and relief operations, and the efforts made by local communities to cope with the difficult situation.

HPU pupils learn about emerging cyber threats

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, NOVEMBER 6

Students and research scholars of the Department of Forensic Science, Himachal Pradesh University (HPU), attended an awareness lecture on cybercrime, digital safety and emerging cyber threats to understand the growing importance of cyber awareness in forensic science.

Madhu Sharma of the State CID Cyber Crime Unit, Himachal Pradesh Police, conducted the session. She sensitised the participants to the rising incidents of cybercrime and the importance of responsible digital practices.

During the interactive session, Madhu discussed various cyber threats, including cyberbullying, cyber grooming, sextortion, email fraud, phishing, fake websites, mobile application-based scams, ATM frauds and online gaming, gambling and betting-related frauds. She explained how cybercriminals exploit human emotions through psychological manipulation, deception and social engineering to target unsuspecting people.

She also highlighted ways to identify deepfake content and fake social media profiles, manage Facebook account privacy settings and report suspicious online activities. The session covered measures to prevent cyberbullying, secure smartphones, protect personal information and avoid email and mobile-based financial frauds.

The participants were introduced to tools for URL and link analysis, mobile phone security codes and the TAFCOP portal, which helps individuals check mobile phone connections issued in their names. Madhu informed the participants about the National Cyber Crime Helpline (1930) and the National Cyber Crime Reporting Portal, which facilitate the reporting of cybercrime, particularly financial frauds.

यूको बैंक भारत सरकार का उपक्रम
UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)
E -AUCTION SALE NOTICE

E -AUCTION SALE NOTICE

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES under SARFAESI Act, 2002
DATE & TIME OF E-AUCTION ON 26.11.2026 BETWEEN 11:00 AM TO 05:00 PM (WITH 10 MINUTES UNLIMITED AUTO EXTENSIONS)
EMD SHALL BE DEPOSITED AND LINKED/MAPPED WITH THE PROPERTY ID BEFORE THE EXPIRY OF AUCTION TIME PRIOR TO PLACING THE BID

Whereas, the Authorized Officer of UCO Bank, Respective Branches as under had taken possession of the following properties to the notice issued under Section 13(2) of the SARFAESI Act in the following loan accounts with right to sell the same strictly on **"AS IS WHERE IS BASIS" & "AS IS WHAT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS BASIS" & "WITHOUT RECOURSE BASIS"** under section 13(4) of the (SARFAESI) Act 2002 propose to realize the Bank's dues by sale of the said properties. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website.

Name of the Branch/ Borrower(s)/ Guarantor(s)	Details of the Immovable Properties	Date of Demand Notice / Outstanding Amount (Secured Debts)	Date of Symbolic/ Physical Possession / Details of Officials concerned	25% Deposit Account No. & IFSE CODE	Reserve Price / EMD / Bid Increase Amount	Date & Time Of E-Auction
Branch Office : Sanjauli						
Borrower : Sh. Roshan Lal S/o Sh. Alam Chand, R/o Village Dhartarpunu, PO Chanair Up-Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) 171220. **Co- Borrower : Sh. Pankaj Chauhan** S/o Sh. Roshan Lal, R/o Village Dhartarpunu, PO Chanair, Up-Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) 171220. **Guarantor : Smt. Roshana Chauhan** W/o Sh. Roshan Lal, R/o Village Dhartarpunu, PO Chanair, Up-Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) 171220.	All that part and parcel of property measuring 150-40 Sq. meters comprised in Khata/Khatauni No. 121/175, Khasra No. 846 along with building constructed thereon with all the easementary Rights attached thereto, Situated at Mohal Janog Doem, Tehsil Theog, Distt. Shimla, H.P. owned by Roshan Lal S/o Alam Chand, R/o Village Dhartarpunu, P.O. Chanair, Up-Tehsil Theog, Distt. Shimla H.P. 171220.	**02.11.2024** / **Rs. 64,73,798.45** plus further interest and other charges accrued thereon after 31.05.2024	21.01.2025/Symbolic / Authorised officer Arup Chakraborty Mobile : 9668228403 Branch Manager- Kunal Raina, Mob. : 7006192703, E-Mail : sanjau@uco.bank.in	Account No. 20601030080161 IFSC CODE UCBA0002060 Name of Account : No Lien Account	**Rs. 83,50,000/-** / **Rs. 8,35,000/-** / **Rs. 25,000/-**	26.11.2026 11.00 AM to 05:00 PM (with unlimited auto extension of 10 minutes each)
Branch Office : Sanjauli						
Sh. Harish Kumar S/o Sh. Kamli Ram and **Smt. Sheema Sharma** W/o Sh. Harish Kumar, Village Nihari, PO-Kiartoo, Tehsil-Theog, Shimla (H.P.)	Mortgage of land comprised upon Khewat No. 50min, Khatauni No. 118 min, Khasra No. 1632 measuring 00-01-57 hect, Situated at Mohal Nall, Patwar Circle Dharampur, Tehsil, Theog & Distt. Shimla HP in the name of Mr. Harish Kumar S/o Sh. Sh. Kali Ram, along with House thereupon with all the easementary rights attached thereto. Bounded :On the North by : Land, On the South By : Old House Owner, On the East by : Road, On the West by: Land.	**23.01.2023** / **Rs. 30,73,807.99** plus further interest and other charges accrued thereon after 29.11.2022	21.04.2023/Symbolic / Authorised officer Arup Chakraborty Mobile : 9668228403 Branch Manager- Kunal Raina, Mob. : 7006192703, E-Mail : sanjau@uco.bank.in	Account No. 20601030080161 IFSC CODE UCBA0002060 Name of Account : No Lien Account	**Rs. 32,65,000/-** / **Rs. 3,26,500/-** / **Rs. 25,000/-**	26.11.2026 11.00 AM to 05:00 PM (with unlimited auto extension of 10 minutes each)

TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE : 1. Bids should be submitted only ONLINE in the prescribed form. Online bids can be submitted by accessing the **https://baanknet.com**. **2.** Bids should be submitted along with a copy of identity document as an attachment to the bid form. Original identity Document must be produced on demand., **3.** 10% of the Upset Price/Reserve Price must be remitted towards EMD through RTGS/NEFT/ Money Transfer to the Account Details Mentioned Against each account or the EMD can also be deposited to e-walled of Auction Provider by accessing the website mentioned in the point No. 6, in case of sole bidder, bid amount quoted must be one Bid higher than Reserve Price. The Authorised Officer reserve absolute right to accept or reject any one or more bids or to postpone/cancel the auction without assigning any reasons. **4.** On sale of immovable property, the Successful Bidder shall immediately pay a deposit of Twenty Five percent (25%) of the amount of the sale price through RTGS / NEFT / Money Transfer to the Bank A/c as mentioned above against each account , to the authorized officer conducting the sale failing which the Earnest Money Deposit shall be forfeited and property shall forthwith be sold again. **5.** The successful bidder shall remit the balance bid amount within 15 (fifteen) days of confirmation of sale in his favor. If the successful bidder fails to remit the balance bid amount within the said period, deposit shall be forfeited and the property shall be resold. **6.** The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid Documents, Training/ Demonstration, Terms & Conditions on Online Inter-se Bidding etc., may visit Website **https://baanknet.com** , Helpline No. **+91 82912 20220, Helpline E mail id : support.baanknet@psballiance.com.** For any property related query may contact the Authorised Officer or Branch manager, As details of Authorised officer/s/ Branch Manager/s mentioned above against each account. Sale will not be confirmed if the borrower tenders to the Bank contractual dues along with other expenses prior to the Authorized Officer issuing Sale Confirmation Letter to the successful bidder(s), In such case, the Bank shall refund without interest the entire amount remitted by the successful bidder. **7.** Statutory dues / liabilities etc., due to the Government / Local Body, If any, shall be borne by the Successful bidders. The Successful Bidder has to bear the TDS of 1% if the property value exceed Rs. 50 Lacs. Bidders are advised to go through the service provider's website **https://baanknet.com** or Contact respective Branch Manager before participating in the auction. All participating bidders shall be deemed to have read and understood all the conditions of sale given on website and be bound by all the conditions. The Auction sale is subject to confirmation of the secured creditor Bank. Further inquiries, if any, in particular details of the properties, verification of documents and / or terms and conditions of sale can be obtained from the respective Branch Managers as mentioned above during office hours. **8.** The Property will be sold on "As is where is and what is where " basis and the intending bidder should make discreet enquiries as regards to the property of any authority besides the bank's charges and should satisfy themselves about the title, extent, quality and quantity of the property before submitting their bid. No claim of whatsoever nature regarding the property put for sale, charges, encumbrances over the property on any other matter etc. will be entertained after submission of the online bid. rding the property put for sale, charges, encumbrances over the property on any other matter etc. will be entertained after submission of the online bid.

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT-2002

The borrowers/ guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before confirmation of sale failing which the properties will be auctioned/ sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Date: 06.11.2026 **AUTHORISED OFFICER**

Fun games mark Annual Sports Day of Shimla's DPS primary wing

TRIBUNE NEWS SERVICE

SHIMLA, NOVEMBER 6

The primary wing of Delhi Public School (DPS), Shimla organised its Annual Sports Day-2026 with great zeal and fervour on Thursday. The programme began with a warm welcome address and a soulful prayer.

Students participated in various sports competitions such as throwball, kho-kho and badminton matches, displaying agility and teamwork. Besides, the students showcased their skills in fun games, including Lemon and Spoon Race, Tummy-to-Tummy Relay, Pyramid Game, Fill the Bottle and Run, and Kangaroo Race, filling the day with joy and laughter.



Students of the primary wing of Delhi Public School, Shimla, take part in the Annual Sports Day on Thursday.

The students also participated in taekwondo demonstrations, showcasing discipline, balance and self-control. They also participated in single-leg races, 50-m sprints, frog, duck and hopping races. The sports day also featured a tug of war between teachers.

Auckland school holds junior section sports day

SHIMLA, NOVEMBER 6

Students of Auckland House School for Boys displayed sporting skills, coordination and team spirit in the presence of their teachers and parents during the Junior Section Annual Sports Day-2026 celebrations on the campus.

The programme featured physical activities, including PT, yoga and skating displays by students of Class I and II. Students of UKG to Class II also showcased their skills in gymnastics and taekwondo. A series of fun races added to the excitement. Nursery students participated in the Bunny Race and Animal Feast Race, while LKG students took part in the Hat in the Go and Ball in the Cup races. UKG students competed in the Gumboots and Bag Venture races. Events for Class I included the Great Cup Balance and Hoopla races, while Class II students participated in the Pyramid Formation and Ball Balancing races.



Students of AHS for Boys take part in annual sports day on Thursday.

The programme concluded with a prize distribution ceremony. Chief guest Sharon Nanda, principal of St Thomas School, Shimla, felicitated the participants and appreciated their enthusiasm, confidence and sporting spirit. — TNS

सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा फतेही ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान

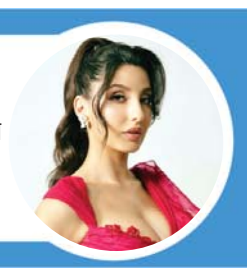

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। शुक्रवार को उन्होंने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले कोर्ट ने नोरा फतेही को गवाही के लिए छह नवंबर को पेश होने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने उनकी पिछली पेशी न होने पर नाराजगी जताई थी। सोमवार को नोरा के वकील ने उनकी पेशी से छूट मांगी थी।

माता-पिता की सैलरी एकमात्र आधार नहीं

ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, केंद्र सरकार की याचिका खारिज

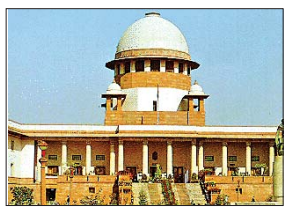

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के तहत क्रीमी लेयर तय करने के नियमों को लेकर एक बार फिर अपना कड़ा रुख साफ किया है। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फैसले के क्रियान्वयन के लिए दो साल का समय मांगा गया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर की स्थिति तय करने के लिए केवल माता-पिता की आय को ही एकमात्र पैमाना नहीं माना जा सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि इस फैसले को केवल भविष्य के मामलों में लागू किया जाए। देश की सुप्रीम अदालत ने दोटूक कहा कि इस महत्त्वपूर्ण निर्णय के क्रियान्वयन को टालने के लिए सरकार के पास कोई भी ठोस या उचित कारण नहीं है। गौरतलब है कि 11 मार्च को कोर्ट ने सरकार को इस फैसले को लागू करने के लिए छह महीने का वक्त दिया था। शुक्रवार को मियाद पूरी होने पर कोर्ट ने समयसीमा को केवल आठ हफ्ते और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि

भविष्य की नीतियों पर सरकार को स्वतंत्रता

अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि 11 मार्च के फैसले के बाद रोस्टर पॉइंट के हिसाब से होने वाली सभी नियुक्तियां और आरक्षण का क्रियान्वयन कोर्ट की नई व्याख्या के अनुसार ही होगा। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर और सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों के मुताबिक अपनी नई आरक्षण और क्रीमी लेयर नीति बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम छह मार्च को घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक सेवाओं (सर्विसेज) का आबंटन फाइनल नहीं हुआ है। यह चयन प्रक्रिया अभी लंबित है, इसलिए 11 मार्च के फैसले में तय किए गए क्रीमी लेयर के सिद्धांत ही इस परीक्षा के ओबीसी उम्मीदवारों के सेवा आबंटन पर लागू होंगे।

ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा देंगे रुबियो

चुनावी हार के बाद आई बड़ी रिपोर्ट, विकल्प खोज रहे विदेश मंत्री

एजेंसियां — वाशिंगटन



मार्को रुबियो

अमरीका में हाल ही में मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी ने अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो दिया है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन से जुड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीका के विदेश सचिव मार्को रुबियो भी ट्रंप का साथ छोड़ सकते हैं। मार्को रुबियो के ट्रंप प्रशासन छोड़ने की खबर ऐसे समय में आई, जब ट्रंप की करीबी और अमरीकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की प्रमुख हरमीत ढिल्लों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में रुबियो के इस्तीफे की खबर से अमरीकी सियासत में हलचल मच गई। हालांकि इन खबरों पर बात करते हुए रुबियो ने इन्हें मात्र अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। वेंस 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में ट्रंप से नाराज वोटरों

- जेडी वेंस भी बना रहे दूरी राष्ट्रपति से नाराज वोटरों को अपने साथ लाने की कोशिश

को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद मार्को रुबियो को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया था कि रुबियो चुनाव में मिली हार के बाद अपने लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में रुबियो ने स्पष्ट किया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक उनके साथ काम करना चाहते हैं।

जितने आदेश देंगे, उतना उल्लंघन बढ़ेगा

दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर, कोई पाबंदी काम नहीं करेगी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ आदेश देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मजबूरी बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए कोर्ट जितने ज्यादा आदेश और पाबंदियां लगाएगा, उनका उल्लंघन उतना ही बढ़ेगा। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सख्त नियम बनाने से प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है। बैंच ने प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत बताई। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बैंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत, मध्यम अवधि और लंबे समय के उपाय करने की जरूरत है। हम लगातार बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि एक्यूआई पहले ही 400 तक पहुंच रहा है। किसानों को खेतों में आग लगाने के बजाय मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करना चाहिए। प्रदूषण रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के प्रयासों पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने तंज कसा कि उम्मीद है आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।

गाड़ियां प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वाहनों पर रोक, कंस्ट्रक्शन बैन जैसी बातें पुरानी हो गई हैं। इनसे वायु प्रदूषण कम होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में हर तरह का टैलेंट है, इसलिए पुराने नियम काम नहीं आएंगे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह वाहन ही हैं। वहीं बंपर टु बंपर ट्रैफिक में प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली



तरुण तेजपाल यानी तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। साल 2013 के दुष्कर्म मामले में अदालत ने तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। खास बात है कि राज्य ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी और उम्रकैद की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमें सजा के निलंबन पर विचार करना है। हालांकि, रिकॉर्ड पर मौजूद ईमेल और संदेशों के हवाले से यह तर्क दिया गया है पर हमें यह राहत देने लायक मामला नहीं लगता। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। याचिका पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच सुनवाई कर रही थी। खास बात है कि तेजपाल को पहले ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद अगस्त में मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था और अदालत ने फैसला पलट दिया था। तब तेजपाल को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। उस पर गोवा में जूनियर सहकर्मी के साथ बलात्कार के आरोप लगे थे।

- 2013 के दुष्कर्म केस में नहीं मिली राहत

सात शर्तें नहीं मानीं, तो नहीं खुलेगा होर्मुज

ईरान ने कतर के जरिए अमरीका को भेजा नया परमाणु प्रस्ताव



एजेंसियां — तेहरान

ईरान और अमरीका के बीच जारी तनाव के बीच बातचीत की नई कोशिश शुरू हुई है। ईरान ने कतर के जरिए अमरीका को एक परमाणु प्रस्ताव भेजा है। मीडिया से बात करने वाले एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने यह जानकारी दी। हालांकि, ईरान ने साफ कर दिया है कि इस प्रस्ताव पर बातचीत तभी होगी, जब अमरीका उसकी सात मांगें पूरी करेगा। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रजाई ने भी अपनी शर्तों को दोहराया। रूस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने अमरीका के सामने सात शर्तें रखी हैं, जब तक अमरीका इन शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक न तो होर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा और न ही किसी भी तरह की बातचीत होगी। ईरान की मांगों में अमरीकी प्रतिबंध हटाना, विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्ति जारी करना और युद्ध का हर्जाना देना शामिल है। इसके अलावा ईरान ने अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करने और क्षेत्र से अमरीकी सेना की वापसी जैसी मांगें भी रखी हैं। ये शर्तें ईरान की ओर से रखी गई हैं।

ट्रंप बोले, ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार

अमरीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान में संभावित अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अमरीकी सेना पहले की तुलना में कहीं अधिक हथियार बना रही है। अगर हमें ईरान के मामले में आगे की कार्रवाई करनी पड़ी, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम फैसला लेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ग्रेप-3 लागू

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचने को है। इसी के साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू स्टेज-3 प्रदूषण प्रतिबंध भी लागू हो गए हैं। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 तक पहुंच गया है। इसी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एहतियाती कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रेप-3 की पाबंदी लागू की है। इससे पहले सोमवार (2 नवंबर) को तत्काल प्रभाव से ग्रैप-2 लागू किया गया था।

वीडियोकॉन के पूर्व प्रोमोटर वेणुगोपाल धूत दिवालिया घोषित

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 12,668 करोड़ रुपए के बकाया के मामले में दायर याचिका स्वीकार करते हुए वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रवर्तक एवं निदेशक वेणुगोपाल नंदलाल धूत को 'दिवालिया' घोषित कर दिया है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने धूत के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया संचालित करने के लिए एक दिवाला न्यासी भी नियुक्त किया है। धूत ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की ओर से एसबीआई और उसके पूर्व सहयोगी बैंकों से ली गई ऋण सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी। इन सहयोगी बैंकों का बाद में एसबीआई में विलय हो गया था। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने पारित आदेश में कहा कि यहां व्यक्तिगत गारंटर वेणुगोपाल नंदलाल धूत को दिवालिया घोषित किया जाता है। एनसीएलटी ने दिवाला न्यासी को निर्देश दिया कि वह धूत के लेनदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करे। उसने कहा कि दिवालिया (धूत) की संपत्ति उनके लेनदारों के बीच बांटी जाएगी।



वेणुगोपाल धूत

दिल्ली में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का वांटेड उग्रवादी पकड़ा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कामयाबी हासिल करते हुए प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक वांटेड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पीएचक्यू के मीडिया सेंटर में डीसीपी/क्राइम, हर्ष इंदोरा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया और इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई है। आरोपी की पहचान आरके रीगन सिंह के रूप में हुई है। आरोपी मणिपुर के थौबल थाने में दर्ज यूएपीए के दो मामलों में वांछित था। गिरफ्तारी के बाद उसकी पहचान की पुष्टि मणिपुर पुलिस से कराई गई और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे मणिपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

नेपाल पीएम 22 नवंबर से भारत दौरे पर

भारत के लिए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने तोड़े अपने बनाए नियम

एजेंसियां — काठमांडू

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जल्द ही भारत दौरे पर आएंगे। उनकी दिल्ली यात्रा की तारीख भी तय हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह इसी महीने दिल्ली आ सकते हैं। पीएम बालेन शाह का यह दौरा कई मायनों में खास होगा। इस यात्रा से पहले अपने बनाए गए प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के विदेश सचिव से मुलाकात की है। वहीं यह इसीलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने पहले विदेश दौरे के लिए चीन को छोड़कर भारत को तरजीह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम बालेंद्र शाह 22 नवंबर से भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक विदेश सचिव नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर चार से पांच नवंबर तक नेपाल की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। भारत के विदेश मंत्रालय और नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, यात्रा के दौरान मिसरी ने प्रधानमंत्री शाह से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं सौंपीं। वहीं बैठक के दौरान विदेश सचिव मिसरी ने प्रधानमंत्री शाह को उनके भारत दौरे को लेकर चल रहीं तैयारियों के बारे में भी बताया। इसके साथ ही नेपाली पीएम की यात्रा को लेकर बीते कुछ महीनों से धुंधली पड़ी तस्वीर साफ हो गई है। छह महीने पहले बालेन शाह ने जिस भारतीय विदेश सचिव से मिलने से इनकार कर दिया था, अब नियम तोड़कर उनसे मिले हैं। दरअसल पूरी कहानी मई में शुरू हुई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी का 11 मई को नेपाल जाने का कार्यक्रम तय था। इस यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नेपाली क्रूशाह से मुलाकात भी करना चाहते थे। हालांकि, जब यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री शाह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, तो मिसरी की नेपाल यात्रा को रद्द कर दिया गया।

बदलावों से सही साबित हुआ राहुल गांधी का रुख

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने अग्निवीर योजना में केंद्र सरकार के ताजा बदलावों को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि अग्निवीरों की सेवा अवधि चार से बढ़ाकर छह वर्ष करने और मात्र नियमित भर्ती का रास्ता देने से योजना की मूल खामियां दूर नहीं होंगी, इसलिए पूरी योजना को वापस लिया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा कि मोदी सरकार को आखिरकार यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 2022 से लगातार अग्निपथ योजना की जिन खामियों को उठा रहे थे, वे सही थीं।

वेज-नॉन वेज किनारे रख दीजिए मिठाई खाकर दिवाली मनाइए

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

- सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉन-वेज बैन न हटाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के आसपास मौजूद मांसाहारी भोजनालयों पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने गुजरात हाई कोर्ट की ओर से जारी अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। हाई कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास मांसाहारी खाना तैयार करने, बिक्री या भंडारण करने पर तत्काल रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले रेस्तरां मालिकों ने दलील दी कि इस फैसले से कारोबार खत्म हो जाएगा और देश के 80 फीसदी लोग मांस खाते हैं। अदालत ने कहा कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है और इस चरण में कुछ नहीं कहा जाएगा। बेंच ने कहा कि हमें सुंतलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट से कहा कि जितनी जल्दी संभव हो इस मामले में अंतिम फैसला दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट से सुनवाई तेज करने की अपील करेंगे। यह अंतरिम चरण में है। बेंच ने मजाकिया लहजे में कहा कि मिठाई खाकर रोशनी का त्योहार (दिवाली मनाइए), वेज-नॉन वेज को किनारे रख दीजिए।

योजनाओं का लाभ वोटर आईडी से जोड़ना गरीबों के हक पर हमला

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली



लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के बजाय मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की तैयारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक वीडियो को साझा करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार मतदाता सूची के जरिए गरीबों के अधिकारों को नियंत्रित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश कर रही है। श्री गांधी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और यदि इसे नहीं रोका गया, तो भविष्य में और भी लोगों के नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है।

श्री गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भाजपा के साथ मिलीभगत और वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल वोट चोरी नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की चोरी है।

भारतीय नौसेना को मिला 'अमिनी'

नई पनडुब्बी रोधी युद्धपोत से नौसेना की ताकत बढ़ी, दुश्मन पर रखेगा नजर



नई दिल्ली। युद्धपोत अमिनी नौसेना के हवाले करते जीआरएसई प्रतिनिधि

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अमिनी' नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इससे नौसेना की पानी के भीतर छिपे खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। नौसेना ने शुक्रवार को बताया कि अमिनी के निर्माण में 80 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इसे कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने बनाया है। इसका डिजाइन भी जीआरएसई ने ही बनाया है। यह युद्धपोत पानी के भीतर छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणाली से लैस है। इसकी पानी के जेट से चलने वाले भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोतों में गिनती होती है। इससे नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता, तटीय निगरानी और समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता मजबूत होगी। 'अमिनी' का नाम लक्षद्वीप के अमिनी द्वीप के नाम पर रखा गया है। यह पहले नौसेना में शामिल रहे आईएनएस अमिनी का नया रूप है। पुराना आईएनएस अमिनी पेट्या-3 श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था, जिसे 2002 में नौसेना से हटा दिया गया था। इस युद्धपोत का नौसेना को सौंपा जाना स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में एक और उपलब्धि है।

- जीआरएसई ने सौंपा स्वदेशी सामग्री से बना युद्धपोत
- पानी के भीतर छिपे खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने की क्षमता में होगी बढ़ोतरी

यूको बैंक
भारत सरकार का उपक्रम

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी बिक्री सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 26.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तारों के साथ)

ईएमडी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व नीलामी समय समाप्त होने से पूर्व संपत्ति आईडी के साथ जमा की और लिंक्ड/मैप्ड की जाएगी।

चूंकि, यूको बैंक, निम्न वर्णित संबंधित शाखा के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित संपत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की देय राशि की उगाही हेतु प्रस्तावित (सरफेसी) अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन 'जैसा है जहां है' एवं 'जो है जैसा है' व 'जैसी है जहां भी है' एवं 'बिना किसी रिकॉर्स' के आधार पर कठोरतया इसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन जारी सूचना से निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ग्रहण कर लिया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाईट पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

शाखा/ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि / बकाया देय राशि (सिक्योर्ड ऋण)	प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जे की तिथि / संबंधित अधिकारी का विवरण	25% राशि जमा करने का खाता सं. एवं आईएफएससी कोड	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
शाखा कार्यालय: संजौली						
ऋणी: श्री रोशन लाल पुत्र श्री आलम चंद, निवासी गांव धरतारपुनु, पीओ चनैर उप-तहसील ठियोग, जिला शिमला (हिप्र.) 171220, **सह-ऋणी:** श्री पंकज चौहान पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव धरतारपुनु, पीओ चनैर उप-तहसील ठियोग, जिला शिमला (हिप्र.) 171220, **गारंटर: श्रीमती रोशना चौहान** पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव धरतारपुनु, पीओ चनैर उप-तहसील ठियोग, जिला शिमला (हिप्र.) 171220	मोहाल जनोग डोइम, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिप्र. में स्थित उस पर संलग्न सभी ईजमेंटरी अधिकारों के साथ उस पर निर्मित भवन के साथ खाता/खतौनी सं. 121/175, खसरा सं. 846 में सम्मिलित संपत्ति माप 150-40 वर्ग मीटर के सभी भाग एवं पार्सल, रोशन लाल पुत्र आलम चंद, निवासी गांव धरतारपुनु, पीओ चनैर उप-तहसील ठियोग, जिला शिमला (हिप्र.) 171220 द्वारा स्वामित्व।	**02.11.2024** / रु. 64,73,798.45 तथा उस पर 31.05.2024 के पश्चात आगामी ब्याज एवं अन्य प्रभार	21.01.2025/प्रतीकात्मक / प्राधिकृत अधिकारी अरुप चक्रबर्ती मोबाईल: 9668228403 शाखा प्रबंधक-कुनाल रैना, मो. 7006192703, ई-मेल: sanjau@uco.bank.in	खाता सं. 20601030080161 आईएफएससी कोड यूसीबीए0002060 खाते का नामः कोई लियन खाता नहीं	रु. 83,50,000/- / रु. 8,35,000/- / रु. 25,000/-	26.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (10 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तारों सहित)
शाखा कार्यालय: संजौली						
श्री हरीश कुमार पुत्र श्री कमली राम और श्रीमती शीमा शर्मा पत्नी श्री हरीश कुमार, गांव निहारी, पीओ-कियारटू, तहसील-ठियोग, शिमला (हिप्र.)	उस पर संलग्न सभी ईजमेंटरी अधिकारों के साथ उस पर मकान के साथ श्री हरीश कुमार पुत्र श्री काली राम के नाम में मोहाल नाल, पटवार सर्कल धर्मपुर, तहसील ठियोग एवं जिला शिमला हिप्र. में स्थित खेवट सं. 50 मिन, खतौनी सं. 118 मिन, खसरा सं. 1632 माप 00-01-57 हेक्ट पर सम्मिलित भूमि की मोर्टगेज। चौहद्दीः उत्तरःभूमि, दक्षिणःपुराना मकान स्वामी, पूर्वःरोड, पश्चिमःभूमि।	**23.01.2023** / रु. 30,73,807.99 तथा उस पर 29.11.2022 के पश्चात आगामी ब्याज एवं अन्य प्रभार	21.04.2023/प्रतीकात्मक / प्राधिकृत अधिकारी अरुप चक्रबर्ती मोबाईल: 9668228403 शाखा प्रबंधक-कुनाल रैना, मो. 7006192703, ई-मेल: sanjau@uco.bank.in	खाता सं. 20601030080161 आईएफएससी कोड यूसीबीए0002060 खाते का नामः कोई लियन खाता नहीं	रु. 32,65,000/- / रु. 3,26,500/- / रु. 25,000/-	26.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे (10 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तारों सहित)

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें: 1. बोलियां केवल निर्दिष्ट प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत की जाएंगी। ऑनलाईन बोलियां https://baanknet.com पर पधारने द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं। 2. बोलियां बोली प्रपत्र से संलग्न अनुसार पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ प्रस्तुत की जानी हैं। मूल पहचान दस्तावेज मांग पर प्रस्तुत किया जाना है। 3. 10 प्रतिशत अपसेट कीमत/आरक्षित कीमत प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित खाते विवरण आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से ईएमडी हेतु प्रस्तुत की जानी है अथवा ईएमडी एकल बोलीदाता के मामले में बिंदु सं. 6 में उल्लिखित वेबसाईट एक्सेसिंग द्वारा नीलामी प्रदाता की ई-वॉलेट से जमा की जा सकती है, कोट की गई बोली राशि आरक्षित कीमत से एक अधिक हो। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी को निरस्त/स्थगित करने अथवा एक अथवा अधिक बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. अचल संपत्ति की बिक्री पर, सफल बोलीदाता तत्काल प्रत्येक खाते के अंतर्गत उक्त उल्लिखित अनुसार बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांसफर के माध्यम से बिक्री राशि की पच्चीस प्रतिशत (25%) राशि बिक्री आयोजित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को जमा करेंगे, जिसमें असफल रहने पर जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। 5. सफल बोलीदाता उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर शेष बोली राशि जमा करेगा। यदि सफल बोलीदाता कथित अवधि के भीतर शेष राशि जमा करने में असफल रहेगा तो जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति की पुनः बिक्री की जाएगी। 6. इच्छुक बोलीदाता जिसे लोगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोडिंग, बोली दस्तावेज प्रस्तुतीकरण में सहायता की आवश्यकता, प्रशिक्षण/प्रदर्शन, ऑनलाईन इंटर-से बोली आदि पर नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाईट https://baanknet.com, हेल्पलाईन सं. +91 8291220220, ई-मेल आईडीः support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें। किसी भी संपत्ति से जुड़ी पूछताछ के लिए अधिकृत अधिकारी या शाखा प्रबंधक से संपर्क करें, जैसा कि ऊपर प्रत्येक खाते के सामने अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/शाखा प्रबंधक/प्रबंधकों का विवरण दिया गया है। अगर ऋणी अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोली लगाने वाले को बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने से पहले बैंक को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बकाया राशि और अन्य खर्चों का भुगतान कर देता है, तो बिक्री कन्फर्म नहीं होगी। ऐसे मामले में, बैंक सफल बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई पूरी राशि बिना ब्याज के वापस कर देगा। 7. सांविधिक देय/देयताएं आदि, सरकार/स्थानीय निकाय के देय, यदि कोई हो, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। सफल बोलीदाता रु. 50 लाख से अधिक लागत की संपत्ति की 1 प्रतिशत टीडीएस का वहन करेगा। बोलीदाता को सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.com के माध्यम से जाने का परामर्श दिया जाता है अथवा नीलामी में भाग लेने से पूर्व संबंधित शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। सभी प्रतिभागी बोलीदाता को वेबसाईट पर प्रदान की गई सभी शर्तों को पढ़ने एवं समझने का परामर्श दिया जाता है और वह सभी शर्तों के लिए बाध्य है। नीलामी सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक की पुष्टि का विषय है। आगे, संपत्तियों के संबंध में किसी पूछताछ हेतु, दस्तावेजों के सत्यापन तथा/अथवा बिक्री की नियम एवं शर्तें कार्यालय समय के दौरान उक्त वर्णित अनुसार संबंधित शाखा प्रबंधकों से प्राप्त की जा सकती हैं। 8. संपत्ति 'जैसी है, जैसी है और जो जहाँ है' के आधार पर बेची जाएगी और बोली लगाने वाले को बैंक के चार्ज के